सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 19, सोमवार, *शाके* 1944-जनवरी 09, 2023 *Pausa 19, Monday , Saka 1944- January 09, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 06, 2023

जी.एस.आर.120 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 9 का संशोधन.- राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"9. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-II के पद के लिए 100% और समस्त अन्य पदों के लिए 30% प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमत: अंतर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-II के पद के सिवाय, पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्ति आरक्षित है। छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-II के पद के सिवाय, महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा:

परन्तु यदि सेवा में सम्मिलित किसी पद के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से अधिक हो तब भी, विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण कुल रिक्तियों का प्रवर्गवार क्रमशः 8% और 2% से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: विधवा के मामले, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।"

3. नियम 20 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 20 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-II के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन केवल महिला अभ्यर्थियों से ही आमंत्रित किए जायेंगे।"

4. अनुसूची- II का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची- II में शीर्ष अधीनस्थ सेवा पद के अधीन क्रम संख्याक 6 घ के सामने स्तम्भ संख्याक 8 में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जायेंगी। अर्थात्:-

"राजकीय जनजाति बालिका छात्रावास / आवासीय विद्यालयों में छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-II का पद केवल महिला अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जायेगा।"

[सं. एफ.1(5)/डीओपी/ ए-II/89]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
रामनिवास मेहता,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.-II
NOTIFICATION
Jaipur, January 06, 2023

G.S.R.120 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service Rules, 2001 namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 9.-** The existing rule 9 of the Rajasthan Tribal Area Development State and Subordinate Service Rules, 2001, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"9. **Reservation of vacancies for women.-** In direct recruitment, reservation of vacancies for women candidates shall be 100% for the post of Hostel Superintendent (Female) Grade-II and 30% for all other posts category wise, out of which one third shall be for widows and divorced women candidates in the ratio of 80:20. In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates, either in widow or in divorcee, in a particular year, the vacancies may first be filled by interchange, i.e. vacancies reserved for widows to the divorcees or vice versa. In the event of non availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies shall be filled by other women of the same

category and in the event of non availability of eligible and suitable women candidates, except for the post of Hostel Superintendent (Female) Grade-II, the vacancies so reserved for them shall be filled up by male candidates of the category for which vacancy is reserved. Except for the post of Hostel Superintendent (Female) Grade-II, the vacancy so reserved for women candidates shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation, within the category, i.e. even the women selected in general merit of the category shall first be adjusted against the women quota:

Provided that even if reservation for women for any post included in the service, is more than 30%, the reservation for widowed and divorced women candidates shall not exceed 8% and 2% respectively of the total vacancies, category wise.

Explanation:-In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce. "

3. **Amendment of rule** 20.- After the existing proviso to rule 20 of the said rules, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the applications for direct recruitment to the post of Hostel Superintendent (Female) Grade-II shall be invited from female candidates only."

4. **Amendment of Schedule–II.-** In Schedule II appended to the said rules, under the head Subordinate Service Posts, in column number 8 against serial number 6D, the following entries shall be inserted, namely :-

"The post of Hostel Superintendent (Female) Grade-II in Government Tribal Girls Hostel/Residential Schools shall be filled up by women candidates only."

[No.F.1(5)DOP/A-II/89]
By order and in the name of the Governor,
RAM NIWAS MEHTA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.